बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

नीलामी-सूचना

एतद दवारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना मे रद्दी सामग्रियों का पुरानी सचिवालय में दिनांक- 16.12.2015 को नीलाम किया जाना है ।

(2) नीलामी के एक दिन पूर्व डाक (वोली) में शामिल व्यक्ति को प्रतिभूति के रूप में रूपये 5000.00 (पॉच हजार) मात्र जमा करना होगा । नीलामी की तिथि एवं अन्य सभी शर्ते विभागीय बेवसाइट rdd.bih.nic.in पर देखा जा सकता है ।

(चेत नारायण राय)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

नीलामी की शर्तें

(क) केवल वे ही व्यक्ति नीलामी में डाक बोलने के हकदार होंगे, जिसके द्वारा प्रतिभूति के रूप में सामग्री के विरूद्ध रूपया- 5,000.00 मात्र ग्रामीण विकास विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी [illegible] के द्वारा प्रतिनियुक्त, श्री सुधांशु कुमार, उ0व0लि0 के पास नीलामी की तिथि के कम-से-कम एक दिन पूर्व जमा किया जायेगा ।

(ख) सबसे अधिक डाक बोलने वाले व्यक्ति को डाक की राशि का 25 प्रतिशत (पच्चीस प्रतिशत) तत्काल जमा करना होगा ।

(ग) विभाग द्वारा नीलामी का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् दो दिनों के अंदर सम्पूर्ण राशि जमा कर सामग्री ले जाया जा सकता है । अन्यथा उनके द्वारा जमा की गई प्रतिभूति की राशि स्वतः जप्त हो जायेगी ।

(घ) (वोली) डाक की रकम पर वाणिज्य-कर वैट भी अलग से देय होगा ।

(ड़) जिनका डाक (वोली) अस्वीकृत होगा उनके द्वारा जमा प्रतिभूति की राशि डाक समाप्ति के बाद वापस कर दिया जायेगा ।

(च) जिनका डाक की दर सबसे अधिक होगा उनकी प्रतिभूति की राशि अन्तिम निष्पादन तक रोक कर रखी जायेगी ।

(छ) विभाग को बिना कारण बतायें डाक को अस्वीकृत करने एवं नीलामी की तिथि में परिर्वतन करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।